(55911)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 11620/28/76/एक/2018–19 दिनांक 08 मार्च 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**मुजफ्फरनगर।**

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
केनरा बैंक	2194101017546	IFSC Code CNRB0002194	**277.649**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	मुजफ्फरनगर	म0ब0–83	न0पा0प0 खतौली	वार्ड नं0 13 जमना विहार मे चन्द्रपाल हरिजन के मकान से जी0टी0 रोड तक व सतेन्द्र के मकान से मन्दिर तक सी0सी0 इण्टरलाकिग टाइल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	22.825	50%
2	मुजफ्फरनगर	म0ब0–83	न0पा0प0 खतौली	वार्ड नं0 13 मो0 जमुनाविहार में चन्द्रपाल हरिजन के मकान से मोर्डन स्कूल की दीवार तक, होटल कर्मी के मकान से स्कूल की दीवार तक प्रवीण पंचाल से नरेश पंचाल तक व पूजा कुमारी के मकान से सीता शरण की दीवार तक गली में सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.606	50%
3	मुजफ्फरनगर	म0ब0–83	न0पा0प0 मुजफ्फरनगर	दक्षिणी रामपुरी से मिमलाना शाहबुददीन रोड से दिल्ली मोर्डन पब्लिक स्कूल, प्रमोद प्रजापति की दुकान से ठाकुर मोनू के मकान तथा रविन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	15.628	50%
4	मुजफ्फरनगर	म0ब0–83	न0पा0प0 मुजफ्फरनगर	दक्षिणी रामपुरी मिमलाना शाहबुददीन रोड से नरेन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	16.722	50%

(559/2)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 SUDA
7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
5	मुजफ्फरनगर	मु0अ0–37	न0पं0 पुरकाजी	नगर पुरकाजी में चन्द्रलोक होटल से बन्धन बैंक तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	36.713	50%
6	मुजफ्फरनगर	मु0अ0–37	न0पं0 शाहपुर	मो0 गडरीयान में रविदास मन्दिर से वीर सिंह तक व वीर से नन्द किशोर व अशोकपाल के मकान तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.965	50%
7	मुजफ्फरनगर	मु0अ0–37	न0पं0 शाहपुर	मो0 गडरीयान में सचिन से जयभगवन तक व डीलर से सोरम रोड तक व ब्रांच गलियों में सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.143	50%
8	मुजफ्फरनगर	मु0अ0–37	न0पं0 बुढाना	वार्ड नं0 08 मो0 बुढ़ाना रोड में बडौत रोड दयानन्द चौक से डी0ए0वी0 इण्टरलॉकिंग के सामने कांधला रोड तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	26.264	50%
9	मुजफ्फरनगर	मु0अ0–37	न0पं0 बुढाना	काशीराम आवास योजना (बडकता रोड) के खाली स्थान पर सी0सी0 इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.844	50%
10	मुजफ्फरनगर	मु0अ0–37	न0पं0 सिसौली	मो0 होली चौक में पीतम खांसा जाट के मकान से पीतम भूलन व मा0 ओमवीर के मकान तक , नत्थू कश्यप के मकान से राजीव बालियान के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य।	26.082	50%
11	मुजफ्फरनगर	मु0अ0–37	न0पं0 सिसौली	मो0 होली चौक में रामधन कश्यप के मकान से गुड्डू हजिरजन मिस्त्री के मकान तक, ओवल हाजी के घर से आलिम के मकान तक एवं नूर मोहम्मद के मकान से लतीफ के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	25.708	50%
12	मुजफ्फरनगर	मु0अ0–37	न0पा0प0 मुजफ्फरनगर	वार्ड नं0 16 उत्तरी रामपुरी में बिजली घर से अलका के मकान तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.166	50%
13	मुजफ्फरनगर	मु0अ0–37	न0पा0प0 मुजफ्फरनगर	वार्ड नं0 16 उत्तरी रामपुरी में कुट्टी मशीन से अलका के मकान तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.983	50%
	योग				**277.649**	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

(559/3)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

1— उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9— उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।